न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

टाटा कैपीटल हाउसिंग फाईनेन्स लि॰ बनाम अंकुर तिवारी व अन्य

प्रकरण संख्या : 698/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
25.07.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है । प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से प्रस्तुत धारा 14 सरफेसी एक्ट के प्रार्थना पत्र के समर्थन में बन्धक सम्पत्ति की रजिस्टर्ड टाईटल डीड पेश नही की गई है अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट–2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	

फर्द अहकाम